

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

उनवान

मुकदमा नं. :- 224/2021

निर्णय दिनांक : 28/1/20

यानशी बनाम रोहिताश वगै०

वादिया की ओर से अधिवक्ता श्री रामवमार उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 28/1/20 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्डुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादिया अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बाकरा पटवार हल्का बाकरा में भूमि हाल ख.न. 923 रकबा 1.96 हैक्टर मुताबिक कृषि भूमि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/1/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा मुर्तिब किया गया।



वाद के खर्चे

हवाई सिंह यादव  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू  
राज.

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	5	योग	

हवाई सिंह यादव  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू  
राज.